



2026:AHC:125785

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18759 वर्ष 2026

पंकज

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : रमेश कुमार ओझा, नारायण सुरेंद्र मिश्रा

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र नारायण मिश्रा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री सुरेंद्र सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया। आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
- यह जमानत याचिका मुजफ्फरनगर जिले के भोपा पुलिस स्टेशन में केस क्राइम नंबर 309/2024 में धारा 87, 65(1) बीएनएस और पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) के तहत आवेदक को मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- प्रारंभ में ही, विद्वान एजीए ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचनादाता को नोटिस तामील करा दिया गया है।
- आवेदक के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री मौजूद नहीं है। आवेदक 1.12.2024 से जेल में बंद है और आज तक एक भी गवाह की जांच नहीं की गई है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और एफआईआर

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसी समय दर्ज की गई है जब कथित घटना घटित हुई बताई जा रही है, जिससे इसकी सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि पीड़िता की चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट के अनुसार उसके आंतरिक अंगों पर कोई ताजा चोट नहीं पाई गई है, जबकि घटना के अगले दिन चिकित्सा परीक्षण किया गया था, जो एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर भी संदेह पैदा करता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित की उम्र 16 वर्ष पाई गई है। इसके अलावा यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक पर बलात्कार और पोक्सो से संबंधित एक आपराधिक मामला दर्ज है, हालांकि वह उक्त मामले में जमानत पर है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि पीड़िता ने धारा 180 और 183 बीएनएस के तहत दर्ज अपने बयानों में एफआईआर के आरोपों का समर्थन किया है।

6. यह घटना 27.11.2024 को शाम 5 बजे घटी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि प्रथम शिकायतकर्ता की लगभग 12 वर्षीय बेटी के साथ आरोपी ने बलात्कार किया था, हालांकि, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र 16 वर्ष पाई गई है और घटना के अगले दिन पीड़िता की चिकित्सा जांच की गई थी, हालांकि, पीड़िता की चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट में उसके आंतरिक अंगों पर कोई ताजा चोट नहीं पाई गई है और डॉक्टर ने राय दी है कि यौन उत्पीड़न से इनकार नहीं किया जा सकता है। आवेदक 1.12.2024 से जेल में बंद है और उस पर 22.4.2025 को आरोप तय किए गए थे, हालांकि, अभी तक एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 6765) मामले में इस

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **पंकज** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, जमानत देने की नीति रणनीति, **स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के मामले में, दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित आदेश के अनुसार**, कार्यालय को इस आदेश

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

5 जून, 2026

अभिषेक

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।